उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.03.2019

जैसा कि संज्ञान में आया है कि कतिपय समाचार पत्रों के माध्यम से सौभाग्य एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कार्य में कमियाँ उजागर की गई हैं। इस सम्बन्ध में जनव्यापक को यह अवगत कराना आवश्यक है कि पूर्व में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की डीपीआर माह अगस्त 2015 को मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई थी जिसमें अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग एवं कृषि पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य सम्मिलित था। मै0 आर0ई0सी0 लि0 से माह दिसम्बर 2017 में कृषि पोषकों के पृथक्कीकरण की धनराशि को अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण में धनराशि का स्थानान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हुई।

वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत तोकों का विद्युतीकरण, प्रणाली सुदृढ़ीकरण, मीटरिंग एवं कृषि पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य त्वरित गति से गतिमान है परन्तु राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप भी व्यवहारिक रूप से कार्य करने हेतु वर्ष में लगभग आठ माह ही उपलब्ध रह पाता है। अतः स्पष्ट है कि योजना में निहित व्यापक कार्य पूर्ण करने हेतु समय लगना स्वाभाविक है। जैसा कि सर्वविदित है कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता के अनुसार राज्यों के समस्त अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु एक पृथक योजना सौभाग्य का शुभारम्भ किया गया जिसका उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 08.03.2018 को विधिवत शुभारम्भ हुआ था। जिसके आधार पर राज्य के समस्त 200037 घरों को दिनांक 30.11.2018 को रोशन कर शत्प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया गया था जिसमें समस्त कार्मिकों की सहभागिता हुई। इन संयोजनों का विद्युतीकरण करने के लिये इन्फरास्ट्रक्चर विकसित किया जाने का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत एल0टी0 लाईन का विस्तार एवं अन्य आवश्यक कार्य कर किया गया।

चूँकि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार मॉनिटरिंग कमेटी की अनुमति की सूचना तिथि से कार्य को पूर्ण करने की अवधि 30 माह निर्धारित है, जिसके आधार पर ही जून 2020 तक की समयावधि हेतु मै0 आर0ई0सी0 लि0 से समय विस्तार का अनुरोध किया गया है जो कि पूर्णतः नियमानुसार उचित है। फिर भी विभाग को पूर्ण विश्वास है कि कार्मिकों के अथक प्रयासों से निर्धारित समयावधि से पूर्व समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार यदि कोई घर प्रदेश में विद्युत से वंचित रह गया है तो वह सौभाग्य योजना के तहत दिनांक 31 मार्च 2019 तक भी संयोजन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार राज्य में इच्छुक पात्रों को सौभाग्य योजना में संयोजन देने की प्रक्रिया 31 मार्च 2019 तक गतिमान है।

सम्मानित विद्युत उपभोक्ता अपने विद्युत बिल का भुगतान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के वेबसाईट www.upcl.org पर ऑन लाईन भी कर सकते हैं तथा विद्युत सम्बन्धी किसी भी जानकारी/कठिनाईयों के लिये उपाकालि के कस्टमर केअर टोल फ्री न0 1800–419–0405 अथवा 1912 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

01/3/19

(ए0के0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता/
एवं मीडिया प्रभारी